

## अध्याय 7

# संघवाद

### संघवाद का अर्थः—

- साधारण शब्दों में कहें तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। (संघ=संगठन+वाद=विचार)।
- ‘संघवाद’ एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, इसमें एक संघीय (केन्द्रीय) स्तर की सरकार और दूसरी प्रांतीय (राज्यीय) स्तर की सरकारें।
- संघीय (केन्द्रीय) सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और राज्य की सरकारें अपने प्रांत (राज्य) विशेष के लिए होती हैं, जिसके जिम्मे राज्य के महत्व के विषय होते हैं। उदाहरण—भारत में संघ सूची के विषयों पर केन्द्रीय (संघीय) सरकार कानून बनाती है तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है।

### भारतीय संविधान में संघवादः—

- संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत को ‘राज्यों का संघ’ कहा गया है।
- भारत में जो संघवाद अपनाया गया है, उसका आधार राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान आन्दोलन कर्ताओं के द्वारा लिए उस फैसले का परिणाम है कि जब देश आजाद होगा तब विशाल भारत देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केन्द्रीय सरकारों के बीच बांटेगे। आज संविधान में ऐसा ही है।
- भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था (संघवाद) के अनुसार— एक संघीय (केन्द्रीय) सरकार + उन्नतीस (29) राज्य तथा सात (07) केन्द्र शासित सरकारें अपने—अपने प्रांतों में अपने—अपने विषयों पर काम करती है। सात केन्द्र शासित प्रांतों में से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।
- वेस्टइंडीज, नाईजीरिया, अमेरिका एवं जर्मनी जैसे देशों में भी ‘संघवाद’ है परन्तु भारतीय संघवाद से भिन्न।

### **भारतीय संघवाद की विशेषताएँ:—**

- (क) भारत में तीन स्तर (केन्द्रीय स्तर, राज्य तथा स्थानीय स्तर) की सरकारें हैं।
- (ख) लिखित संविधान।
- (ग) शक्तियों का विभाजन (संघ सूची—97), राज्य सूची (66), समवर्ती सूची (47) + अवशिष्ट शक्तियों
- (घ) स्वतंत्र न्यायपालिका।
- (ड) संविधान की सर्वोच्चता।

### **शक्ति विभाजन:—**

- भारतीय संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है— एक संघीय (केन्द्रीय) सरकार तथा दूसरी प्रांतीय (राज्य) सरकार। संविधान के अनुच्छेद 245—255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है। संघीय (केन्द्रीय) सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के तो प्रांतीय (राज्य) सरकार के पास प्रांतीय महत्व के विषय हैं।

### **भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण:—**

- (i) संविधान की सर्वोच्चता—कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे।
- \*(ii) शक्तियों का विभाजन—देश में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों को तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची) के अन्तर्गत बांटा गया है।
- (iii) स्वतंत्र न्यायपालिका—भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो सरकार को तानाशाह होने से रोकता है, तथा सभी नागरिकों को निष्पक्ष न्याय दिलाती है।
- (iv) संशोधन प्रणाली—यह संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है।
- (v) तीन स्तर की सरकारें—केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय।

### **भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण:—**

भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षणों के साथ ही एकात्मक लक्षण भी है जो निम्न है—

- (i) इकहरी नागरिकता।
- (ii) शक्ति विभाजन में संघीय (केन्द्रीय) पक्ष अन्य से अधिक ताकतवर।
- (iii) संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान।

- (iv) एकीकृत न्यायपालिका।
- (v) आपातकाल में एकात्मक शासन (केन्द्र शक्तिशाली)
- (vi) राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति।
- (vii) इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था (अखिल भारतीय सेवाएँ—IAS)
- (viii) संविधान संशोधन में संघीय सरकार का महत्व।

### **भारतीय संघ में सशक्त केन्द्रीय सरकार क्यों?—**

- भारतीय संविधान द्वारा एक शक्तिशाली (सशक्त) केन्द्रीय (संघीय) सरकार की स्थापना करने के कारण निम्न हैं—
- भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेकानेक विविधताओं और सामजिक-आर्थिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माता शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार के माध्यम से उन विविधताओं तथा समस्याओं का निपटारा चाहते थे। देश की आजादी (1947) के समय 500 से अधिक देशी रियासतें थीं उन सभी को शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार के द्वारा ही भारतीय संघ में शमिल किया जा सका।

### **भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव—**

- (क) केन्द्र—राज्य संबंध— संविधान में केन्द्र को अधिक शक्ति प्रदान करने पर अक्सर राज्यों द्वारा विरोध किया जाता है। और राज्य निम्नलिखित मांगे करते हैं—
  - (i) स्वायत्तता की मांग: समय—समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों में राज्यों को केन्द्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई है जो निम्न रूपों में है—
    - (A) वित्तीय स्वायत्तता— राज्यों के आय के अधिक साधन होने चाहिए तथा संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण।
    - (B) प्रशासनिक स्वायत्तता— शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए। राज्यों को अधिक महत्व के अधिकार। शक्तियां दी जाए।
    - (C) सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे—तमिलनाडु में हिन्दी विरोध में पंजाब में पंजाबी व संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग।

- (ii) राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासनः
- (A) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों की सरकारों की सहमति के बिना, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करा दी जाती है।
- (B) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से अनुच्छेद-356 का अनुचित प्रयोग कर, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवा देना।
- (iii) नए राज्यों की मांगः भारतीय संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है।
- (iv) अंतर्राज्यीय विवादः
- (A) संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों में आपसी विवादों के अनेकों उदाहरण हैं।
- (B) राज्यों के मध्य सीमा विवाद—जैसे बेलगांव को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में टकराव।
- (C) नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद, जैसे—कर्नाटक एवं तमिलनाडू कावेरी जल—विवाद में फंसे हैं।
- (v) विशिष्ट प्रावधानः (पूर्वोत्तर के राज्य तथा जम्मू कश्मीर):
- (A) संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। जैसे—अलग संविधान, अलग ध्वज तथा भारतीय संसद राज्य सरकार की सहमति के बिना आपातकाल नहीं लगा सकती आदि।
- (B) संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 (झ) तक में नागालैंड, असम, मणिपुर, आन्ध्रप्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है।

## **प्रश्नावली**

### **एक अंकीय प्रश्नः—**

1. संघवाद के लिए भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया है?
2. संघवाद का क्या अर्थ है?
3. केन्द्र तथा राज्यों के बीच उठे विवादों का समाधान किस के द्वारा होता है?
4. भारत में संघवाद व्यवस्था को क्यों अपनाया गया?
5. समवर्ती सूची पर किसको कानून बनाने का अधिकार है?
6. सरकारिया आयोग कब बनाया गया?
7. राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस अनुच्छेद के अन्तर्गत होता है।
8. राज्यों में राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है?
9. राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई।
10. किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है?

### **दो अंकीय प्रश्नः—**

1. मैसूर तथा मद्रास को किस राज्य में विलय किया गया?
2. संघवाद से भारत की विविधता में एकता किस प्रकार सहायक हुई?
3. अनुच्छेद-1 क्या दर्शाता है?
4. शक्ति विभाजन का क्या अर्थ है?
5. अवशिष्ट शक्तियां कौन-सी हैं?
6. राज्य स्वायतता की मांग किस आधार पर करते हैं?
7. सरकारिया आयोग में मुख्य प्रावधान क्या रखा गया है?
8. अन्तर्राज्यीय विवादों के दो उदाहरण दीजिए।
9. सरकारिया आयोग कब व किसके द्वारा गठित किया गया।


### **चार अंकीय प्रश्नः—**

1. ज्यादा स्वायतता की चाह में प्रदेशों ने कौन-कौन सी मांग उठाई?
2. भारतीय संविधान की चार संघात्मक विशेषताएं बताइये?
3. भारत संविधान की चार एकात्मक विशेषताएं लिखें?


4. बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर खुश क्यों नहीं है?
5. राज्यों में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान का उल्लेख कीजिए।

#### **पांच अंकीय प्रश्नः—**

1. दिए गए अवतरण को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो—  
जहाँ एक ओर राज्य अधिक स्वायतता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केन्द्र के साथ विवाद की स्थिति में रहते हैं, वही दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में सीमाओं से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है। लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार-विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है।
  - (1) केन्द्र तथा राज्यों में किस कारण से विवाद रहता है?
  - (2) राज्यों में आपसी विवाद का कोई एक कारण बताइए।
  - (3) कानूनी विवादों का कौन हल कर सकता है? विवादों के राजनीतिक पहलू को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है?
2. कार्टून का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें।
  - (I) राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है?
  - (ii) कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति का क्या आशय है?
  - (iii) क्या राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा इसी प्रकार होती है?



3. मानचित्र को ध्यान पूर्वक देखें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें :—



- (i) भारत के 1947 के मानचित्र से चार रियासतों के नाम लिख कर बताइए कि वर्तमान समय में इनका विलय किन राज्यों में हुआ?
- (ii) चार राज्यों के नाम लिखो जिनका नए राज्यों के रूप में जन्म हुआ?
- (iii) एक गैर हिन्दी भाषा राज्य का नाम लिखो।

#### छ: अंकीय प्रश्न:—

1. भारतीय संवधिन का स्वरूप संघातमक है लेकिन वास्तव में एकात्मक की विशेषताएं प्रभावी हैं।
2. संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची का वर्णन करो।
3. स्वायतता और अलगाववाद का क्या अर्थ है।

## उत्तरमाला

### एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. यूनियन
2. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करते हैं।
3. भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा।
4. विशालता विविधता एवं अत्याधिक जनसंख्या के कारण।
5. केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों को।
6. 1983 में
7. अनुच्छेद 356
8. तीन वर्षों तक
9. 1954
10. जम्मू और कश्मीर का

### दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. कर्नाटक, तमिलनाडु
2. केन्द्र तथा राज्य सरकारों का अपना क्षेत्र अधिकार।
3. भारत राज्यों और केन्द्र प्रशासित राज्यों का एक संघ (यूनियन) है।
4. (i) कार्यपालिका के शक्तियों का बॉटवारा, विधानपालिका न्यायपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र है।  
(ii) संघ, राज्य, समवर्ती सूची में अपने विषय है जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकार बनाता है
5. वे विषय जिनका उल्लेख किसी सूची में नहीं दिया गया।
6. राज्य स्वायतता की मांग भाषा, आय, वित्तीय शक्ति, प्रशासकीय शक्ति।
7. केन्द्र, राज्य, सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति संतुलन पर।
8. सीमा विवाद नदी जल बंटवारा विवाद, जैसे— पंजाब, हरियाणा।
9. जून 1983 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजिन्द्र सिंह सरकारिया द्वारा।

### चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. — नदी जल बंटवारा

- सीमा विवाद, नए राज्यों की मांग
  - आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता, संसाधनों पर अधिकार

2. (i) शक्तियों का विभाजन

(ii) स्वतंत्र न्यायपालिका

(iii) द्विसदनीय विधायिका

(iv) संविधान

3. (i) इकहरी नागरिकता

(ii) केन्द्र के पास अधिक सर्वोच्चता

(iii) एकीकृत न्यायपालिका

(iv) आर्थिक दृष्टि से भी राज्य दुर्बल ।

4. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, केन्द्र सरकार के लिए कार्य राष्ट्रपति शासन लगवाने का अधिकार, विधेयक को कानून बनाने पर विवाद, केन्द्र के ऐजेन्ट के रूप में कार्य ।

5. अनुच्छेद 356, राज्य में आन्तरिक शांति भंग होने पर सरकार के पास बहुमत न रहने पर आर्थिक संकट आने पर ।

## पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. (i) वित्तीय, कानून बनाने के विषय, आपातकाल की शक्ति  
(ii) नदी जल वितरण विवाद  
(iii) न्यायपालिका, विचार विमर्श, पारस्परिक विश्वास

2. — राष्ट्रपति के द्वारा  
— जब चाहे जिसे राज्यपाल बना दे, जब चाहे हटा दे, या दूसरे स्थान पर भेंज दे।  
— हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की इच्छा तथा केन्द्र सरकार की इच्छा से की जाती हैं

3. (i) रियासत राज्य  
(1) राजपूताना राजस्थान  
(2) जूनागढ़ गुजरात  
(3) मैसूर कर्नाटक  
(4) मद्रास तमिलनाडू

- (ii) उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना
- (iii) आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक (कोई एक)

#### **छ: अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—**

1. इकहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, राज्यों पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग आदि।
2. (i) संघ सूची – राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इसमें लगभग 99 विषय हैं, जैसे—रक्षा, विदेश, रेल, बन्दरगाह, बैंक, खनिज आदि।  
 (ii) राज्य सूची – साधारणतय क्षेत्रिय महत्त्व के विषय लगभग 66 विषय हैं, जैसे— पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि।  
 (iii) समवर्ती सूची – लगभग 47 / 52 है, जैसे— फौजदारी, विधि प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा आदि।
3. (i) स्वायतता अधिकार प्राप्त करना, अलगाववाद—केन्द्र सरकार द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार  
 (ii) राज्यों के द्वारा कार्य करते समय केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप न करना।  
 (iii) अलगाववाद ने केन्द्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता न देना, विकास संबंधी योजनाएं न बनाना।
4. — अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा  
 — केन्द्र सूची समवर्ती सूची पर केन्द्र द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति  
 — अधिक स्वायतता प्राप्त  
 — आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं कर सकती।  
 — राज्य में नीति निर्देशक तत्व यहां लागू नहीं होते।  
 — अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान के संशोधन राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू